

शहरी हेल्थ एंड वेलनेस केंद्र के लिए भवन किराए पर लेने हेतु नियम व शर्तें :-

1. किराए के लिए लिये गए भवन,में स्टाफ के बैठने तथा अन्य समान रखने के लिए कम से कम 3 से 4 कमरे, फार्मैसी, किचन तथा एक शौचालय होना चाहिए।
2. जिस भवन में सभी कमरे भूतल पर होंगे उन भवन मालिकों को प्राथमिकता दी जाएगी।
3. किराया उपायुक्त,सिरसा द्वारा गठित कमेटी द्वारा निर्धारित किया जायेगा।
 4. वार्षिक मरम्मत, सफेदी व् पेंट करवाने की जिम्मेवारी मकान मालिक की होगी।
5. मकान मालिक को 3 फेस का मीटर, आवश्यक फिटिंग तथा अर्थिंग करवाकर देनी होंगी।
- 6.किराए पर लिए जाने वाले भवन में प्रयोग किए जा रहे बिजली, पानी तथा सीवर के बिल का भुगतान विभाग द्वारा किया जायेगा।
 7. किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का पूर्व नोटिस देकर अनुबंध रद्द किया जा सकता है व भवन खाली किया व करवाया जा सकता है।
8. अनुबंध का नवीनीकरण वार्षिक किया जाएगा।
9. किराए पर लिए गए भवन के लिए बिजली पानी की नियमित सुविधा प्रदान करने की जिम्मेदारी मकान मालिक की होगी।
11. किराए पर दिए जाने वाले भवन का कोई भी स्थान टूट फूट वाली नहीं होना चाहिए।
 12. मकान मालिक को भवन किराए पर देते वक्त भवन की रजिस्टरी की प्रमाणित फोटो कॉपी इस कार्यालय में जमा करवानी होगी। जिससे यह प्रमाण हो कि भवन उसके नाम पर है। रजिस्टरी प्रस्तुत नहीं करने पर मकान मालिक को हलफ़नामा देना होगा कि मकान उसके नाम पर ही हैं तथा किसी भी विवाद की स्थिति में वह स्वयं उत्तरदायी होगा।
 13. कमेटी को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी भवन को किराए पर लेने से पूर्व उसका निरीक्षण कर सकती है तथा इसके अतिरिक्त कमेटी को किसी भी भवन को किराए पर लेने व न लेने का पूर्ण अधिकार होगा तथा कमेटी का निर्णय सर्वमान्य होगा।
14. एक भवन मालिक केवल एक ही संस्था के लिए आवेदन दे सकता है।

-sd-

अर्बन नोडल अधिकारी, सिरसा

पोली क्लिनिक के लिए भवन किराए पर लेने हेतु नियम व शर्तें :-

1. किराए के लिए लिये गए भवन,में स्टाफ के बैठने तथा अन्य समान रखने के लिए कम से कम 250 गज व 7 से 8 कमरे, फार्मसी, किचन तथा तीन शौचालय होना चाहिए।
2. जिस भवन में सभी कमरे भूतल पर होंगे उन भवन मालिकों को प्राथमिकता दी जाएगी।
3. किराया उपायुक्त,सिरसा द्वारा गठित कमेटी द्वारा निर्धारित किया जायेगा।
 4. वार्षिक मरम्मत, सफेदी व् पेंट करवाने की जिम्मेवारी मकान मालिक की होगी।
5. मकान मालिक को 3 फेस का मीटर, आवश्यक फिटिंग तथा अर्थिंग करवाकर देनी होंगी।
- 6.किराए पर लिए जाने वाले भवन में प्रयोग किए जा रहे बिजली, पानी तथा सीवर के बिल का भुगतान विभाग द्वारा किया जायेगा।
 7. किसी भी पक्ष द्वारा तीन माह का पूर्व नोटिस देकर अनुबंध रद्द किया जा सकता है व भवन खाली किया व करवाया जा सकता है।
8. अनुबंध का नवीनीकरण वार्षिक किया जाएगा।
9. किराए पर लिए गए भवन के लिए बिजली पानी की नियमित सुविधा प्रदान करने की जिम्मेदारी मकान मालिक की होगी।
11. किराए पर दिए जाने वाले भवन का कोई भी स्थान टूट फूट वाली नहीं होना चाहिए।
12. मकान मालिक को भवन किराए पर देते वक्त भवन की रजिस्टरी की प्रमाणित फोटो कॉपी इस कार्यालय में जमा करवानी होगी। जिससे यह प्रमाण हो कि भवन उसके नाम पर है। रजिस्टरी प्रस्तुत नहीं करने पर मकान मालिक को हलफ़नामा देना होगा कि मकान उसके नाम पर ही हैं तथा किसी भी विवाद की स्थिति में वह स्वयं उत्तरदायी होगा।
 13. कमेटी को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी भवन को किराए पर लेने से पूर्व उसका निरीक्षण कर सकती है तथा इसके अतिरिक्त कमेटी को किसी भी भवन को किराए पर लेने व न लेने का पूर्ण अधिकार होगा तथा कमेटी का निर्णय सर्वमान्य होगा।
14. एक भवन मालिक केवल एक ही संस्था के लिए आवेदन दे सकता है।

-sd-

अर्बन नोडल अधिकारी, सिरसा